निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षण कर्ता का नाम	:	विजय किरन आनन्द
निरीक्षण कर्ता का पदनाम	:	जिलाधिकारी, एटा
निरीक्षित स्थल	:	जिला चिकित्सालय,एटा
निरीक्षण का दिनांक:	:	22.02.2017

— — —

मेरे द्वारा दिनांक: 22.02.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला चिकित्सालय,एटा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डा0 आर0सी0 पाण्डेय, मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा व श्री ए0के0 चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय एवं श्री बृजेश राठौर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय,एटा के साथ साथ अन्य जिला चिकित्सालय के चिकित्सक व कर्मचारी उपस्थित थे।

सफाई व्यवस्था

चिकित्सालय के परिसर में काफी गंदगी पायी गयी तथा नालियों में जल भराव पाया गया। परिसर में अनावश्यक वाहन खड़े पाये गये जिनके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यह वाहन नीलाम हो चुके है परन्तु बोलीदाता उन्हें उठाने नहीं आये है। यह स्थिति अत्यंत खराब है। चिकित्सालय में गंदगी से रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चिकित्सालय के कई कक्षों में अनावश्यक खराब उपकरण भरे हुए है जिससे कमरा अनावश्यक घिरा हुआ है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- चिकित्सालय परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित करायें।
- परिसर में नीलामशुदा खड़े वाहनों को हटवाये जाने हेतु बोलीदाता को नोटिस निर्गत करें कि तत्काल वह तत्काल वाहनों को हटवाये अन्यथा नीलामी की कार्यवाही निरस्त कर दी जायेगी।
- वाहनों को खड़े किये जाने हेतु पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि सभी वाहन एक ही स्थान पर खडे किये जायें।
- चिकित्सालय परिसर में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए।

- परिसर की सफाई हेतु नगर पालिका परिषद, एटा से कम से कम 10 सफाई कर्मी जिला चिकित्सालय में सम्बद्ध किये जाये।
- परिसर के समस्त कक्षों को सुव्यवस्थित किया जाये तथा अनावश्यक अनुपयोगी उपकरणों को नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय)

परिसर में कई कक्षों में टाइल्स आदि नहीं लगे है जिसके कारण पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा से समन्वय स्थापित कर चिकित्सालय परिसर के कक्षों में टाइल्स लगाये जाने हेतु ऑगणन तैयार करायें ताकि कार्य कराया जा सके।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0)

एम्बुलेंस व्यवस्था

जिला चिकित्सालय, एटा में 102 व 108 एम्बुलेंस उपलब्ध है जिनको निर्धारित समय में सूचना प्राप्त होने पर मौके पर भेज दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर निजी एम्बुलेंस काफी संख्या में खड़ी रहती। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- एम्बुलेंस सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद मौके पर भेजें तथा पीड़ित को त्वरित गति से उपचार हेतु लाया जाये।
- जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर निजी एम्बुलेंस खड़ी नहीं होनी चाहिए यदि मौके पर खड़ी पायीं जाती है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समय–समय पर एम्बुलेंस की लॉगबुक चैक करेंगें।
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व उप जिलाधिकारी, एटा निरन्तर रूप से जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर निरन्तर राउण्ड लगायें यदि कोई निजी एम्बुलेंस पायी जाये तो उनके स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर वाहन को सीज़ कराया जायें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिलाधिकारी,एटा)

इमरजेंसी वार्ड

जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के निरीक्षण के समय पाया गया कि इस वार्ड में पर्याप्त सफाई नहीं है। बार्ड में पुराने गंदे पर्दे लगे हुए थे तथा वॉशबेसन में काफी गंदगी पायी गई और न ही लिक्विड शॉप रखा गया है।

इस बार्ड के रोगियों के बैड पर चादर बिछायी गई है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे यह जानकारी हो सके की चादर प्रतिदिन बदली जा रही है अथवा नहीं ?

इस बार्ड में डयूटी पर तैनात स्टाफ के नामों का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। इमरजेंसी के रखे अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधिकांश रोगियों को रैफर किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में कोई सर्जन नहीं है तथा स्टाफ की कमी है। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि सफाई व्यवस्था व लाउण्ड्री हेतु ठेका दिया गया है परन्तु ठेकेदार द्वारा मात्र 02 लेवर रखी गई हैं।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

- चिकित्सालय में प्रत्येक बार्ड में दिन में दो बार सफाई व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये।
- चिकित्सकों व स्टाफ की कमी हेतु स्थानीय चिकित्सकों को प्रेरित कर संविदा पर तैनाती हेतु वार्ता करें।
- स्थानीय स्तर पर यदि पति–पत्नी दोंनों ही चिकित्सक है, तो दोंनों की नियुक्ति हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। साथ ही यह भी अवगत करायें कि चिकित्सकों को पूर्ण सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जायेगी। किसी भी स्तर पर चिकित्सक के साथ हस्तक्षेप करने पर दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराते हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- साथ ही आवश्कतानुसार प्राईबेट चिकित्सक को बुलानें की व्यवस्था भी शासनादेशों के कम में सुनिश्चित की जाये।
- नगर पालिका से सम्वद्ध किये जाने वाले सफाई कर्मचारियों में से सुयोग्य कर्मचारी को चयनित कर बार्डवॉय का कार्य भी लिया जाये।
- बार्ड में रोगियों के बैड पर बिछायी जाने वाली चादरों में दिन के हिसाब से पृथक–पृथक रंग के टैग लगाये जाये जिससे ज्ञात हो सके कि चादर प्रतिदिन बदली जा रही है।
- ठेकेदार को निर्देशित करें कि पर्याप्त मात्रा में सफाई हेतु लेवर रखे अन्यथा ठेका निरस्त कर अन्य व्यक्ति को ठेका प्रदान किया जाये।
- संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया जाता है कि कम से कम 02 बाशिंग मशीन की व्यवस्था करायें व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इसें सुनिश्चित करें ताकि साफ–सफाई में कोई असुविधा न हो।
- चिकित्सालय में खून लगा हुआ अथवा rusted कोई उपकरण प्रयोग में न लाया लाये। डस्टबीन का डिस्पोजल की अच्छी व्यवस्था की जाये।
- चिकित्सालय में अलमारी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये कि रोगी कल्याण समिति अथवा जिला स्वास्थ्य समिति से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया है कि चिकित्सालय में काफी आवश्यकतायें हैं जिनके अभाव में चिकित्सा कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में अपेक्षा की जाती है कि **पटलबार Manpower, equpment, infrasture का Gap analyes का ऑकलन कर विस्तुत रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायें ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।**

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

ओ0पी0डी0

ओ0पी0डी0 में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ही कम है प्रतिदिन ओ0पी0डी0 में 20 से 25 रोगियों का परीक्षण ही किया जा रहा है। साथ ही पर्चे बाले काउण्टर व औषद्यि वितरण काउण्टर पर भारी भीड़ लगी पायी गई तथा रोगियों के बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं पायी गई।

नेत्र परीक्षण विभाग में भी ओ0पी0डी0 की संख्या अत्यधिक कम है तथा नेत्र परीक्षण भी प्रतिदिन 15–20 व्यक्तियों का किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत दयनीय है।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि चिकित्सकों द्वारा दवायें वाहर की लिखी जाती है। यह प्रकिया गलत है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में दवा बाहर की न लिखी जाये। यदि आवश्कता है तो स्थानीय स्तर से कय कर व्यवस्था की जाये।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- पर्चे बनवाने हेतु दो काउण्टर की व्यवस्था की जाये।
- औषद्यि वितरण हेतु दो काउण्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- रोगियों के बैठने हेतु डैस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- नेत्र परीक्षण की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ओ0पी0डी0 की संख्या में वृद्धि की जाये कम से कम प्रतिदिन 100 रोगियों का परीक्षण होना चाहिए।
- Bed ocupency बहुत कम है। इसमें अपेक्षित सुधार किया जाने की आवश्यकता है।
- परिसर में 100 बैड मेटरनिटी विंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः प्रगति के संबंध में प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

पैथोलॉजी

पैथौलॉजी में पैथोलॉजिस्ट के अतिरिक्त दो लैब टेक्निशियन तैनात है। पैथोलॉजी में प्रतिदिन 50–60 परीक्षण किये जाते है। इस माह 4312 परीक्षण किये जा चुके है। परीक्षण के उपरान्त उसी दिन परीक्षण रिपोर्ट संबंधित को उपलब्ध करा दी जाती है।

निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी की गई कि परीक्षण में कितना समय लगता है तथा रिपोर्ट कितनी अवधि में प्रदान की जाती है। इस संबंध में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उसी दिन रिपोर्ट दे दी जाती है तथा परीक्षण के लिए भी अधिक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।

लेखा अनुभाग

इस अनुभाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्राप्त धनराशि व व्यय का कोई उचित लेखा जोखा नहीं रखा गया है। लेखा अनुभाग में कितनी धनराशि किस मद में अवशेष है का कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

निरीक्षण के दौरान सेवा निवृत्त महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसे अभी तक देयकों/पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है। यह स्थिति अत्यंत दयनीय है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- वर्तमान वित्तीय वष में किस मद में कितनी धनराशि प्राप्त हुई एवं उसके सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय की गई, का मदवार विवरण **दो दिन** के अंदर उपलब्ध करायें।
- सेवा निवृत्त कर्मचारी का सभी देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये किसी कर्मचारी का उत्पीड़न न किया जाये।
- सभी कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान त्वरित गति से किये जायें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/लेखाकार)

- इस अनुभाग का विस्तृत निरीक्षण एवं आय व्यय के विवरण की जांच हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी व जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) की संयुक्त समिति गठित की जाती है, इसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किया जाये।

(कार्यवाही वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी)

किचिन

किचिन का निरीक्षण किया गया। किचिंन एक कक्ष में संचालित है जिसमें प्रकाश का अभाव पाया गया तथा किचिंन की व्यवस्था उचित नहीं पायी गई तथा सफाई का अभाव पाया गया। किचिंन में प्रयोग होने वाले मसालों की गुणवत्ता भी खराब पायी गई।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- किचिन को व्यवस्थित करने हेतु कक्ष को सुव्यस्थित किया जाये तथा अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0 कक्ष का निरीक्षण कर ऑगणन तैयार कर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0)

- किचिन में प्रयोग होने वाले मसालों की गुणवतत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिए तथा ब्राण्डेड मसाले ही प्रयोग किये जाये।
- रोगियों को खाना व नश्ता निर्धारित मीनू के अनुसार गुणवत्तापरक ही उपलब्ध कराया जाये।
- रोगियों को नियमित दूध व फल का वितरण भी शासनादेशानुसार सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

एन0आर0सी0

एन0आर0सी0 में कुपोषित बच्चों के उपचार एवं खान–पान की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। निरीक्षण के समय उपस्थित स्टाफ नर्स द्वारा अवगत कराया गया कि सभी व्यवस्थायें पूर्ण है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- बच्चों को खाना समय एवं गुणवत्तापरक ही प्रदान किया जाये।
- बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त संख्या में खिलौनों की व्यवस्था की जाये। इस हेतु स्थानीय संगठनों से वार्ता कर सहयोग ले लिया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

औषद्यि भण्डार

औषद्यि भण्डार में 250 दवायें होनी चाहिए परन्तु भण्डार में 140 दवायें उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि 155 दवाओं की मांग की गई थी जिनमें से 146 दवायें प्राप्त हुई तथा 36 दवाओं की मांग पत्र निरस्त कर दी गई।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- जिन दवाओं का मांग पत्र निरस्त हो चुका है उन दवाओं का मांग पत्र पुनः प्रेषित करें।
- स्टोर प्रभारी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दवाओं के चार्ट के साथ उपस्थित हो।
- दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा भविष्य में दवा समाप्त होने से पूर्व ही मांग पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

नेत्र अनुभाग

इस अनुभाग में रोगियों को भर्ती कर ऑखों का आपरेशन किया जाता है परन्तु निरीक्षण के समय कोई रोगी उपस्थित नहीं मिला। उक्त के अतिरिक्त बार्ड में सफाई का अभाव पाया गया। अतः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एटा से अपेक्षा की जाती है कि परिसर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सुनिश्चित करायें कि अधिक से अधिक आपरेशन कर व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जाये।

एक्स–रे/अल्ट्रासाउण्ड अनुभाग

इस अनुभाग में एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात है तथा प्रतिदिन 10–20 अल्ट्रासाउण्ड व एक्स–रे किये जाते हैं तथा उसी दिन रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाती है। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि इस अनुभाग में स्टाफ की कमी है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

- एक्स–रे व अल्ट्रासाउण्ड उसी दिन किये जाये तथा रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी जाये।
- किसी भी रोगी का उत्पीड़न न किया जाये अन्यथा इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

मेडीकल बार्ड

इस बार्ड में भर्ती श्रीमती सावित्री मिली जो लम्बे समय से भर्ती है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि इनका उपचार जनपद एटा में नहीं है तथा इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण बाहर उपचार कराने में सक्षम नहीं है।

अतः अपेक्षा की जाती है कि श्रीमती सावित्री देवी को उपचार हेतु बाहर रैफर करें तथा मुख्य चिकित्साधिकारी रैडकास सोसायटी से राहत उपलब्ध करायें ताकि इनका उपचार हो सके।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

पोस्टमार्टम गृह

पोस्टमार्टम गृह नया बना हुआ है परन्तु अभी मृतकों के साथ आने वाले परिजनों के बैठने हेतु जो कक्ष निर्मित कराया जा रहा है वह अपूर्ण है परन्तु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- पोस्टमार्टम गृह पर ड्यूटीरत स्टाफ का बोर्ड लगाया जाये जिसपर नाम व मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।
- पोस्टमार्टम की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जाये।
- पोस्टमार्टम गृह पर शव आने के उपरान्त तत्काल पोस्टमार्टम सुनिश्चित कराया जाये।
- किसी भी दशा में अनावश्यक शव को पोस्टमार्टम हेतु न रखा जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी)

ब्लड बैंक

ब्लड बैंक के निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित मात्रा के अनुसार ब्लड उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यकता पर ब्लड बदल कर नहीं दिया जाता है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- जनपद में संचालित स्वैच्छिक संगठनो से वार्ता की ब्लड डोनेट किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।
- ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्तियों की सूची ब्लड बैंक में मोबाइल नम्बर के साथ उपलब्ध रखी जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल बुलाया जा सके।
- ब्लड बैंक में ब्लड रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

महिला चिकित्सालय

महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय डा0 बृजेश राठौर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओ0पी0डी0 में महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। इस संबंध में अवगत कराया गया कि एक ही महिला चिकित्सक तैनात हैं जिसके कारण लाइन लगी हुई है। ओ0पी0डी0 कक्ष में भी काफी भीड़ पायी गई। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान की कमी है जिसके कारण भीड एकत्रित हो रही है।

महिला चिकित्सालय में बार्ड का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय बार्ड में भर्ती महिला से जानकारी की गई।

निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित आशा व ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि संस्थागत प्रसव अधिक से अधिक कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गये :–

- महिला चिकित्सालय में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ओ0पी0डी0 कक्ष में महिला रोगियों के बैठने हेतु स्टील बैंच की व्यवस्था करें ताकि वह बैठ कर इंतजार कर सकें।
- प्रसव के उपरान्त 24 घण्टे के अंदर जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत धनराशि का भुगतान संबंधित के खाते में कर दिया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अच्छी स्टाफ नर्स की तैनाती हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर तैनाती कराना सुनिश्चित करें।
- **चिकित्सालय में उपकरण, फर्नीचर आदि के कमी के संबंध में पटलबार Manpower, equpment, infrasture का Gap analyes का ऑकलन कर रिपोर्ट तैयार कर मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**
- बार्ड भर्ती रोगियों को निर्धारि मीनू के अनुसार गुणवत्तापरक खाना व नाश्ता उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय)

उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

- जन सामान्य के लिए चिकित्सालय परिसर में महिला एवं पुरूष का पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जन सामान्य के लिए कैण्टीन की व्यवस्था की जाये ताकि रोगियों एवं उनके साथ आने वाले परिजनों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
- जन सामान्य के लिए पेयजल हेतु आर0ओ0 प्लाण्ट लगा हुआ है परन्तु उसे और अधिक विकसित करें ताकि पेयजल की कोई समस्या न रहे।
- चिकित्सालय में एण्टी रैबीजऋ वैक्सीन तथा एण्टी वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठकें प्रतिमाह नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,)

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि परिसर में कतिपय व्यक्तिओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जिससे चिकित्सा कार्य में समस्या उत्पन्न होती है। अतः उप जिलाधिकारी, एटा से अपेक्षा की जाती है कि नियमित रूप से परिसर का भ्रमण कर अवैध अतिक्रमण हटवायें तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिलाधिकारी)

जिला चिकित्सालय का एक माह उपरान्त मेरे द्वारा पुनः निरीक्षण किया जायेगा। अतः आगामी निरीक्षण तक उपरोक्त बिन्दुओं पर शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

उपरोक्त के अनुपालन के संबंध में प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में बिन्दुबार समीक्षा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एटा विस्तृत रिपोर्ट के साथ बैठक में प्रतिभाग सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)

मुख्य विकास अधिकारी, एटा से अपेक्षा की जाती है कि **एक पक्ष** के उपरान्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे तथा उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन के संबंध में समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी)

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,एटा

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

संख्याः 153 /ओ0एस0डी0–निरीक्षण दिनांकः 22.02.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
5. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा।
6. मुख्य विकास अधिकारी,एटा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी,एटा।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एटा।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला चिकित्सालय), एटा
10. अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, एटा।
11. उप जिलाधिकारी, एटा।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एटा को उक्त निरीक्षण आख्या अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी,एटा